लॉक्ड आउट विदाउट जीआई टैग

साभार: द हिंदू
(27 नवंबर, 2017)

जूपि गोगोई
(सहायक प्रोफेसर, भारतीय कानून संस्थान, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

भौगोलिक संकेतों के लिए मौजूदा कानून दस्तावेजी साक्ष्य पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

एक भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) का इस्तेमाल एक ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई स्थानीय उत्पादन का समर्थन करते हैं और ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण हैं। अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के विपरीत, जो व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जीआई सामूहिक अधिकार है। यदि उनके उत्पाद योग्य हैं, तो उत्पादक उनके उत्पादों का व्यावसायिक रूप से शोषण करने के बजाए सामूहिक जीआई चिह्न का उपयोग कर सकते हैं।

परिचय के लिए पथ: भारत ने 1999 में जीआई पर सुई जेनेरिस कानून लागू किया था, इसका मुख्य कारण था कि इस पर विश्व व्यापार संगठन-बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (डब्ल्यूटीओ-ट्रिप्स) के सदस्य के रूप में जीआई पर कानून बनाने का दायित्व था।

जीआई का ट्रिप्स में शामिल होने के पीछे राजनीतिक कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका जीआई का समर्थक नहीं था और यह यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा पैरवी कर रहा था, जिसने ट्रिप्स में इसके शामिल किए जाने का आश्वासन दिया था। यूरोपीय संघ के पास पहले से ही घरेलू तंत्रों की रक्षा के लिए जीआई की रक्षा की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की रक्षा करने के लिए उत्सुक था।

दिलचस्प बात यह है कि भारत में जीआई पर बहस कभी भी ट्रिप्स की धारा 23 से आगे नहीं बढ़ पाया, जो मदिरा और अन्य वस्तुओं की प्राथमिकता देता है। भारत के विद्वानों ने हमेशा ध्यान दिया है कि मदिरा और वाइन के अतिरिक्त संरक्षण, विकासशील देशों से संबंधित जीआई व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है, जिनके जीआई बड़े पैमाने पर कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों से संबंधित हैं। मदिरा और आत्माओं को दिया गया संरक्षण निरपेक्ष और अयोग्य है और अन्य वस्तुओं के सही धारकों के विपरीत, मदिरा और वाइन से संबंधित जीआई के मालिक को साबित नहीं करना पड़ता कि भौगोलिक उत्पत्ति का गलत उपयोग भी भ्रामक है।

भारतीय अधिनियम में कमियों

जैसा कि भारत वर्षों से अपने घरेलू कानून के बारे में आत्मविश्लेषण करने के लिए असफल रहा है, भारतीय जीआई अधिनियम की खामियों को उजागर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रिप्स केवल न्यूनतम मानक सुरक्षा प्रदान करता है। जीआई के संरक्षण के लिए एक विशेष रूपरेखा पर कहीं भी कोई जोर नहीं दिया गया है। वास्तव में, ट्रिप्स ने जीआई के लिए सुरक्षा की एक सुई जेनेरिस मोड को भी अधिदेश नहीं दिया है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारत में जीआई को पंजीकृत करने के लिए स्रोत का सबूत अनिवार्य है। यह प्रावधान जीआई संरक्षण पर यूरोपीय संघ के नियमों से लिया गया है। जीआई के पंजीकरण के लिए एक मानदंड के रूप में चिंता का कारण स्रोत का सबूत (proof of origin) नहीं है, बल्कि जीआई नियमों, 2002 के तहत निर्धारित जीआई के ऐतिहासिक विकास को बाहर लाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे विवरणिका, प्रकाशित दस्तावेज, समाचार लेख, विज्ञापन सामग्री) के रूप में ऐतिहासिक सबूत पर ध्यान केंद्रित करना है और स्रोत के सबूत स्थापित करने के लिए भौगोलिक संकेतों के नियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल के कार्यालय के जीआई मैनुअल और स्पष्टीकरण देना है। यह मुद्दा हमारे कानून में इस तरह के प्रावधान को शामिल करने के पीछे तर्क के बारे में है, क्योंकि ऐसा करने के लिए टीआरआईपी के तहत कोई जनादेश नहीं था।

उत्पत्ति के सबूत के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य उत्पाद और क्षेत्र के बीच के संबंध को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्बाध तंत्र हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पूर्वोत्तर की तरह क्षेत्र हैं, वहां मौखिक इतिहास में लिखित इतिहास पर अधिक व्यापक सम्मेलन है, यह प्रावधान एक दुर्जेय बाधा साबित हो सकता है।

असम के मामले: असम संभावित भौगोलिक सामग्री के रूप में अपने प्राकृतिक, कृषि और पारंपरिक उत्पादों की तलाश कर रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण एक पारंपरिक चावल की शराब है जिसे 'जुडिमा' कहा जाता है जो कि दीमा हासोओ के डिमसा जनजाति द्वारा निर्मित है, यह असम के स्वायत्त पहाड़ी जिलों में से एक है। राज्य सरकार इस बारे में पंजीकरण करने की संभावनाओं की खोज के इरादे से इस विषय पर शैक्षणिक व्याख्यान पर नजर रख रही है। लेकिन स्रोत का सबूत के रूप में दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठा करने में आ रही कठिनाई एक बाधा बनी हुई है। देखा जाये तो पूर्वोत्तर के कई अन्य उत्पादों के साथ यही समस्या रहा है उदाहरण के लिए, 'जुडिमा' के मामले में, 'जू' शब्द का अर्थ है डीमासस के लिए पेय और 'दीमा' है, लेकिन किसी भी दस्तावेजी सबूत की अनुपस्थिति में मामला एक मुश्किल साबित हो रहा है।

अब सवाल यह उठता है कि कानून में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने और बनाए रखने के पीछे तर्कसंगतता क्या है? ज्यादातर उत्पादों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए, यह एक आवर्ती समस्या बनना होगा। कुछ साल पहले, भारत ने हल्दी से जुड़े पेटेंट मामले में कठिनाइयों का सामना किया, जब मिसिसिपी मेडिकल सेंटर के दो वैज्ञानिकों को घाव भरने में हल्दी के उपयोग के लिए अमेरिका के पेटेंट दे दिए थे। भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने इसका विरोध किया था, पेटेंट को रद्द करने के लिए भारत में चिकित्सीय उपयोग के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए यू.एस. पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा पूछा गया था। मौजूदा दस्तावेजी साक्ष्य को अपर्याप्त होने पर, सीएसआईआर को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे बाद में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया और स्वीकार किया गया।

तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसे मामलों में क्या होता है, जहां एक लिखित इतिहास दुर्लभ हो? एक विशेष उदाहरण में, जीआई रजिस्ट्री मूल के सबूत की स्थापना में व्युत्पत्ति विज्ञान माना जाता है। हालांकि, यह गारंटी नहीं देता कि अन्य संभावित जीआई उत्पादों पर विचार करते समय एक समान रुख अपनाया जाएगा, खासकर तब, जब मौजूदा कानून दस्तावेजी सबूत पर भारी पड़ता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जीआई के अधिकारियों को मौजूदा प्रावधान में संशोधन करना चाहिए।

संबंधित तथ्य

भौगोलिक संकेत क्या है?

- एक भौगोलिक संकेत का इस्तेमाल एक ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। उदाहरण के तौर पर- दार्जिलिंग की चाय, महाबलेश्वर की स्ट्राबेरी, जयपुर की ब्लू पोटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत हैं।
- भौगोलिक संकेत को बौद्धिक संपदा अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद मुख्यत: एक ऐसा कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएँ) होता है, जिसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही उगाया जाता है।
- जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है।
- यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित होती है।
- भौगोलिक संकेत का टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसके उत्पत्ति स्थान के कारण ही होते हैं।
- यह दर्शाता है कि वह उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है। यह टैग किसानों और विनिर्माताओं को अच्छे बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है।

भौगोलिक संकेत का महत्त्व

- भौगोलिक संकेत किसी भी देश की प्रसिद्धि एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कारक होते हैं।
- किसी भी देश की प्रतिष्ठा में इनका एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता हैं।
- वस्तुत: ये भारत की समृद्ध संस्कृति और सामूहिक बौद्धिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का बहुप्रचारित 'मेक इन इंडिया' अभियान जी.आई. के अनुरूप ही है।
- जहाँ एक ओर 'मेक इन इंडिया' अभियान भारत की ताकत एवं विकास के संदर्भ में आशावादिता को व्यक्त करता है, वहीं जी.आई. टैग देश की समृद्ध संस्कृति एवं बौद्धिक विकास का प्रतीक है।
- विशिष्ट प्रकार के उत्पादों को जी.आई. टैग प्रदान किये जाने से दूरदराज के क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है।
- अक्सर देखा गया है कि बहुत से कारीगरों, किसानों, बुनकरों और कारीगरों के पास अद्वितीय कौशल एवं परंपरागत प्रथाओं और विधियों का ज्ञान होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होता है।
- परंतु समय के साथ-साथ जैसे-जैसे तकनीकी का विकास बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे इनके प्रयोग एवं संचालन में कमी आती जा रही है, इसलिये देश की इस बहुमूल्य संस्कृति को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

इस वर्ष जिन अन्य उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ

- तेलंगाना का पोचमपल्ली इकाट पश्चिम बंगाल का गोबिंदोभोग, आंध्र प्रदेश के दुर्गी स्टोन कार्विंग्स और एटीकोपक्का और नागालैंड के चाक्षेसांग शाल शामिल हैं।
- दार्जिलिंग चाय, तिरुपति लड्डू, काँगड़ा पेंटिंग्स, नागपुर संतरा और कश्मीरी पश्मीना आदि उत्पाद भारत में पंजीकृत भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद हैं।
- वर्ष 2016-17 में 33 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ था।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु भौगोलिक संकेतों के लिये एक सामान्य लोगो और टैगलाइन का डिजाइन तैयार करने के लिये एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया है।

बंगनपल्ले आम

- बंगनपल्ले आम को आंध्र प्रदेश राज्य में 100 वर्षों से उगाया जा रहा है।
- इसे बेनशन, बनेशन, बनिशन, चप्पातई और सफेदा के नाम से भी जाना जाता है।
- इन्हें बंगनपल्ली, बंगिनपल्ली, बंगनपल्ले भी कहा जाता है।
- यदि इस फल को शीत भंडार गृह में रखा जाए तो तीन माह तक भी इनकी मिठास बरकरार रहती है।
- बंगनपल्ले आम की मुख्य विशेषता यह है कि उसके आवरण पर बहुत हल्के धब्बे होते हैं। इसकी गुठली आकार में लंबी तथा बीज बहुत पतला होता है, जिसके चारों ओर बहुत कम परन्तु मुलायम रेशे होते हैं।
- बंगनपल्ले, पान्यम तथा नंदयाल मंडलों के साथ ही इस फल का प्राथमिक उत्पादन कुरनूल जिले में किया जाता है।
- रायलसीमा और तटीय आंध्र इसके उत्पादन के द्वितीयक केंद्र हैं।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना के खम्मम, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेदक और आदिलाबाद जिले की पहचान भी इसके द्वितीयक उत्पादन केंद्रों के रूप में की है।

संभावित प्रश्न

भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) क्या है? इसके महत्व को समझाते हुए किसी उत्पाद को जीआई में स्थान देने का क्या महत्व है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

What is Geographical Indication? Explaining its importance, Tell is the importance of positioning a product in GI? Discuss. (200 words)